(क) क्या उनके मन्त्रालय ने हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में स्थित अपने सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार करना आरम्भ कर दिया है और उनके मंत्रालय के प्रत्येक सैक्शन में कम से कम एक हिन्दी टाइपिस्ट और हिन्दी टाइपराइटर की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इसके लिये उनके मंत्रालय का हिन्दी विरोधी रवैया उत्तरदायी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तथा (ख). शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में कोई हिन्दी विरोधी रुख नहीं है। फिर भी, यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को छोड़कर यह मंत्रालय हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित अपने संलग्न तथा अधीन कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार नहीं कर रहा है; न ही ये अधीन और संलग्न कार्यालय अपनी ओर से हिन्दी में पत्र-व्यवहार कर रहे हैं अथवा हिन्दी में उत्तर भेज रहे हैं, यद्यपि गृह-मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 21 अप्रैल 1962 के एक कार्यालय ज्ञापन के अधीन उन्हें ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति दे दी गई है। गृह-मन्त्रालय के उल्लिखित ज्ञापन में उन्हें दी गई अनुमति पर अमल करने के लिए मन्त्रालय का संलग्न तथा अधीन कार्यालयों को अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है और उसके साथ-साथ यह मंत्रालय भी, हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित संलग्न और अधीन कार्यालयों को अंग्रेजी में भेजे जाने वाले पत्रों के हिन्दी अनुवाद ,की व्यवस्था करेगा। यह आवश्यक संख्या में अतिरिक्त अनुवादकों और टाइपिस्टों की व्यवस्था होने पर निर्भर करेगा।

2. अभी तक मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों को 41 हिन्दी के टाइपराइटर सप्लाई किए जा चुके हैं। और हिन्दी टाइपिस्टों की सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए भी प्रबन्ध किए गए हैं और हिन्दी के टाइपराइटर तथा टाइपिस्ट उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच, हाल ही में हिन्दी अनुवादकों की संख्या बढ़ा दी गई है।

राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग की नियुक्ति

*440. **श्री रामचरण :***
श्री यशपाल सिंह :
श्री मंगलायुमाडोम :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेलगांना की बिगड़ती हुई स्थिति और पृथक् राज्य की माँग को देखते हुए अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार की माँग करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरकार का एक आयोग नियुक्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग)। कुछ अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, इस आधार पर समय-समय पर ऐसी माँगों को व्यक्त किया गया है कि यदि इन क्षेत्रों के पृथक् राज्य बना दिये जायं, उनका पिछड़ापन समाप्त हो जायगा। ऐसी माँगों को तेलगांना की स्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता। सरकार का दृष्टिकोण है कि पिछड़े क्षेत्रों के व्यक्तियों की वास्तविक माँगें तीव्र विकास से, न कि पृथक् राज्यों के बनाने से, पूरी की जा सकती हैं। अतः राज्यों के पुनर्गठन के लिये किसी आयोग की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

C. I. A. Activities in Chhotanagpur

*441. SHRI KANWAR LAL GUPTA ; Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that C. I. A are very active in the tribal belt of Chhotanagpur, particularly in Ranchi ;

(b) whether it is also a fact that their agents are operating in the industrial belt of Bihar and have sneaked into a number